I/111327/2023

संख्या–111327 /XXVIII-3-2023-E file no. 42078

प्रेषक,

डॉ0 आर0 राजेश कुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–3 देहरादून : दिनांक 29 मार्च, 2023

विषय–ECRP-II के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग, जनपद नैनीताल के मोतीनगर (हाथीखाल) हल्द्वानी एवं PM-ABHIM के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली राजकीय आयुर्विज्ञानी एवं शोध संस्थान, श्रीनगर में 50 Bedded Critical Care Block की स्थापना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–7प/1/निर्माण/37/2021/25339, दिनांक 15.10.2022, पत्र संख्या–7प/1/निर्माण/37/2021/24880, दिनांक 12.10.2022 एवं पत्र संख्या–7प/1/निर्माण/37/2021/27051, दिनांक 14.11.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा ECRP-II के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग, जनपद नैनीताल के मोतीनगर (हाथीखाल) हल्द्वानी एवं PM-ABHIM के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली राजकीय आयुर्विज्ञानी एवं शोध संस्थान, श्रीनगर में 50 Bedded Critical Care Block की स्थापना के कार्यों के आगणन सम्बन्धित कार्यदायी संस्था के माध्यम से तैयार कराकर शासन को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराये गये हैं।

2– अवगत कराना है कि आपके उक्त पत्रों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के नियोजन विभाग की टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त विभागीय समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निर्माण कार्यों पर अनुमोदन प्रदान किया है। जिनका विवरण निम्नलिखित है :–

क्रम संख्या	निर्माण कार्य का नाम	कार्यदायी संस्था	प्रस्तावित कार्य के आगणन की लागत	नियोजन विभाग की टी0ए0सी0 के परीक्षणोपरान्त आगणन की लागत			40 प्रतिशत के अनुरूप व्यय करने हेतु प्रस्तावित धनराशि
				सिविल कार्य	अधिप्राप्ति कार्य	कुल	
1	ECRP-II के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग में 50 Bedded Critical Care Block की स्थापना।	सिंचाई विभाग	रू0 2251.00 लाख	रू0 1409.00 लाख	रू0 629.00 लाख	रू0 2038.00 लाख	रू0 815.2 लाख
2	ECRP-II के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के	ब्रिडकुल	रू0 1950.48 लाख	रू0 1360.55 लाख	रू0 587.49 लाख	रू0 1948.04 लाख	रू0 779.216 लाख

	मोतीनगर (हाथीखाल) हल्द्वानी स्थित निर्माणाधीन 200 शैय्यायुक्त मल्टीस्पेशियलिटी चिकित्सालय में स्थापित होने वाले 50 Bedded Critical Care Block						
3	PM-ABHIM के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली राजकीय आयुर्विज्ञानी एवं शोध संस्थान, श्रीनगर में 50 Bedded Critical Care Block की स्थापना।	ब्रिडकुल	रू0 1883.13 लाख	रू0 1321.33 लाख	रू0 559.38 लाख	रू0 1880.71 लाख	रू0 752.284 लाख
कुल						रू0 5866.75 लाख	रू0 2346.7 लाख

3— अतः उक्त तालिकानुसार प्रस्तावित कार्य हेतु केन्द्र सरकार से अनुमोदित धनराशि एवं विभागीय समिति द्वारा संस्तुत/अनुमोदित लागत **रू0 5866.75 लाख** पर वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए एन0एच0एम0 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में भारत सरकार से ECRP-II एवं PM-ABHIM के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि जो कि संगत राज्यांश (10%) के साथ सुसंगत लेखाशीर्षक से वित्तीय स्वीकृति के विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के निवर्तन पर रखी गयी है एवं एन0एच0एम0 को उपलब्ध करायी गयी **रू0 5866.75 लाख (केन्द्रांश 90% रू0 5280.07 लाख + राज्यांश 10% रू0 586.68 लाख)–(रूपये अठ्ठावन करोड़ छियासठ लाख पिचहत्तर हजार मात्र)** की धनराशि के सापेक्ष उपरोक्त तालिकानुसार **रू0 2346.7 लाख (रूपये तैईस करोड़ छियालीस लाख सात हजार मात्र)** को निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

i. कार्यों की मॉनिटरिंग राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड तथा महानिदेशक, चिकित्सा–स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के स्तर से नियमित रूप से की जाएगी।

ii. कार्यों को करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए पूर्ण की जायेंगी तथा विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्यों को सम्पादित कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

iii. कार्यों पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय जितनी प्रत्येक कार्य हेतु मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

iv. प्रत्येक कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्यस्थलों का भली–भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए तथा निरीक्षण के पश्चात् दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।

v. कार्यदायी संस्था द्वारा कार्यों को प्रारम्भ करने से पूर्व परियोजना के डिजाइन एवं ड्राइंग को भारत सरकार से अनुमोदित प्रख्यात संस्था से विधिक्षित (VET) कराया जायेगा।

vi. प्रत्येक निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राविधानित कार्यों की स्ट्रक्चरल ड्रांइग एवं डिजाइन सक्षम अधिकारी से अवश्य अनुमोदित करायी जाय तथा कार्यदायी संस्था तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय आगणन में उन्हीं मदों का समावेश करेंगे, जो अपरिहार्य मदें हैं।

vii. Reinforcement Steel की मात्रा Bar Bending Schedule के आधार पर आंकलित किया जाये तथ बचत के सम्बन्ध में प्रशासनिक विभाग को अवगत कराया जायेगा। विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

viii. निर्माण कार्यों में स्ट्रक्चरल एवं Reinforcement Steel हेतु शत–प्रतिशत प्राइमरी स्टील का ही प्रयोग किया जाय।

ix. निर्माण सामग्री यथा रेत, बजरी, रोडी, सीमेन्ट तथा सरिया, स्ट्रक्चरल स्टील एवं अन्य प्रयुक्त निर्माण सामग्री का निर्माण से पूर्व आई.एस. कोड के अनुरूप समय–समय पर NABL प्रयोगशाला में परीक्षण आवश्यक कराया जाय।

x. निर्माण हेतु Electrical Load के सम्बन्ध में सक्षम स्तर की विशेषज्ञ समिति से परीक्षण एवं अनुमोदन के उपरान्त ही विद्युत भार का निर्धारण किया जाय।

xi. इलैक्ट्रीक आईटम्स जैसे–Switches, Wires, MCB, MCCB, AC vkfn Pluming Items जैसे Bath Fittings, Geyser, Water Tank, Pipes Toilet Items, Wood Items आदि क्रय Market Survey/डी0एस0आर0 दर के अनुरूप गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए, विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर ब्राण्ड नेम निर्धारित कर लिया जाय।

xii. बिल्डिंग से सम्बन्धित सभी मानकों के अनुरूप निर्माण सुनिश्चित किया जाय।

xiii. कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व प्रशासकीय विभाग द्वारा निर्माण कार्य की तृतीय पक्ष गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित किये जाने हेतु नियोजन विभाग को अवश्य सूचित कराया जाय।

xiv. मितव्ययता के दृष्टिकोण से यथासम्भव स्थानीय उपलब्ध सामग्री का ही उपयोग करेंगे तथा होने वाली बचतों से शासन को अवगत करायेंगे।

xv. विभागाध्यक्ष/सक्षम अधिकारी द्वारा प्लान, स्ट्रक्चरल डिजाईन एवं विशिष्टियों पर हस्ताक्षर अवश्य किये जायेंगे, ताकि भविष्य में प्लान, डिजाइन या विशिष्टियों में कार्यदायी संस्था या Contractor के स्तर से परिवर्तन कर कार्य की गुणवत्ता प्रभावित की प्रवृत्ति को रोका जा सके।

xvi. व्यय किए जाने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा समक्ष प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

I/111327/2023 xvii. सम्पूर्ण कार्य उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 (संशोधित नियमावली, 2019) के अनुरूप कराया जाय।

xviii. सुसंगत मद से एन0एच0एम0 को संगत घटक में अवमुक्त धनराशि से मिशन निदेशक द्वारा कार्य की प्रगति के दृष्टिगत तीन माह की आवश्यकता के अनुसार कार्यदायी संस्था ग्रामीण निर्माण विभाग को धनराशि शासन को सूचित करते हुये उपलब्ध करायी जायेगी।

xix. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा कार्य पर किये गये व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र GFR-19 पर समय–समय पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

xx. उक्त निर्माण कार्यों हेतु दिनांक 30 जनवरी, 2023 को मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न व्यय वित्त समिति की बैठक के कार्यवृत्त संख्या–203, 204 एवं 205, दिनांक 10 फरवरी, 2023 में उल्लिखित शर्तों का शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

xxi. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या–2047/XIV-219(2006), दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय तथा कार्य के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था के साथ वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–475/ XXVII(7)/2008, दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर नियमानुसार एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित किया जायेगा। कार्य की प्रगति की निरंतर समीक्षा करते हुए रिपोर्ट शासन को प्रेषित की जायेगी तथा कार्यों को निर्धारित समयसारिणी के अनुसार समयबद्ध रूप से पूर्ण कराकर भवन विभाग को हस्तगत कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। विलम्ब या अन्य किसी भी दशा में आगणन पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जायेगा। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थिति में पुनरीक्षण या अन्य किसी नये मद को जोड़ने की आवश्यकता होती हो तो पुनः नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

xxii. किसी भी दशा में आगणन का पुनरीक्षण नहीं किया जायेगा।

xxiii. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय का वहन वित्तीय वर्ष 2022–23 के आय–व्ययक में अनुदान सं0–12–लेखाशीर्षक–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–03–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें–पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति–110–अस्पताल तथा औषधालय–01–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें (90प्रतिशत केन्द्रांश)–06–प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हैल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन–56–सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) एवं अनुदान संख्या–12 के लेखाशीर्षक–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य –03–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें–पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति–110–अस्पताल तथा औषधालय–95–केन्द्रीय योजनाओं में राज्य का अंश (10 प्रतिशत राज्यांश)–06–प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हैल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन–56–सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) निर्धारित किया गया है। एवं ECRP हेतु लेखाशीर्षक– 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–मतदेय, 03–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें, 110–अस्पताल तथा औषधालय, 01–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना, 0104–राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (90:10) मानक मद–56–सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) तथा अनुदान सं0–12–लेखाशीर्षक– 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–मतदेय, 03–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें, 110–अस्पताल तथा औषधालय, 01–केन्द्र द्वारा

I/111327/2023

पुरोनिधानित योजना, 95–केन्द्रीय योजनाओं में राज्य का अंश–04–राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (90:10) मानक मद–56–सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) के नामे डाला जाएगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या–111040, दिनांक 29 मार्च, 2023 में प्रदत्त सहमति के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

Signed by R. Rajesh Kumar
Date: 29-03-2023 17:15:06
(डी0 आर0 राजेश कुमार)
सचिव।

संख्या– 111327 /XXVIII-3-2023-E file no. 42078, तद्दिनांक

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. जिलाधिकारी, नैनीताल/पौड़ी/रूद्रप्रयाग।
5. मुख्य चिकित्साधिकारी, नैनीताल/पौड़ी/रूद्रप्रयाग।
6. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, नैनीताल/पौड़ी/रूद्रप्रयाग।
7. सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड देहरादून।
8. बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3 उत्तराखण्ड शासन।
10. मीडिया सेंटर, उत्तराखण्ड सचिवालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

भवदीय,

Signed by Jaswinder Kaur
Date: 29-03-2023 17:40:48
(जसविन्दर कौर)
अनु सचिव।